भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2054
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिति

†2054. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में प्रस्तावित कुल 616 जलापूर्ति योजनाओं में से केवल 180 ही अब तक पूरी हो पाई हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष 436 योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, उनमें देरी के कारण क्या हैं और उनके पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;
(ग) ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने सहित गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;
(घ) क्या जून, 2025 की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हिंगोली के कई गाँवों में क्लोराइड-दूषित पानी आ रहा है;
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा तत्काल और दीर्घकालिक उपचारात्मक क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और
(च) क्या ऐसी प्रभावित ग्राम पंचायतों के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल और वित्तीय सहायता निर्धारित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य के प्रयासों में सहायता करती है।

जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के लिए प्रस्तावित 695 स्कीमों में से 236 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, राज्य ने दिसंबर 2026 तक 100% एफएचटीसी कवरेज हासिल करने की योजना बनाई है।

(ग) राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल आपूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों को नियुक्त किया जाता है जो कार्यों के विभिन्न चरणों में निरीक्षण करती हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों ने उन्हें आबंटित जल आपूर्ति स्कीमों को पूरा करने में विलंब किया है, ऐसे चूककर्ता ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस प्रकार 210 ठेकेदारों को दंडित किया गया है और 91.24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से अब तक 13.26 लाख रुपये संबंधित ठेकेदारों से वसूल किए जा चुके हैं।

(घ) से (च) "ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए संक्षिप्त पुस्तिका" उपलब्ध कराई गई है जिसमें घरों सहित जल आपूर्ति प्रणालियों के विभिन्न स्थानों पर परीक्षण के लिए अनुसूची, बारंबारता और पैरामीटरों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुस्तिका पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और निम्नलिखित वेबलिंक का उपयोग करके इसे देखा जा सकता है:

https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/wq/handbook-for-monitoring-wq-of-piped-drinking-water.pdf

राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जिले में जून 2025 में रासायनिक मापदंडों के लिए कुल 745 जल नमूनों का विश्लेषण किया गया था। परीक्षण करने पर, कोई भी नमूना क्लोराइड से संदूषित नहीं पाया गया।

***